


प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा)-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, 30प्र0।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, 30प्र0।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली।
4. उपाध्यक्ष बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।


(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
पत्रांक- 2368/11सी-FP/UP/Road/150166/2021, दिनांक, लखनऊ, जनवरी 19 2023

- प्रतिलिपि- वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, बरेली को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि- उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
30प्र0, लखनऊ।



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: rocz.lko-mef@nic.in

पत्र सं० 8बी/यू०पी०/०६/३७/२०२२/एफ०सी०/०२७

दिनांक : 16.01.2023

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बापू भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

TC

EF/No. 10/23

16/01/23

ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/Road/150166/2021

विषय : जनपद बरेली में रामपुर रोड पर झुमका तिराहे से मिनी बाईपास तिराहे तक चैनेज 236.100 से 242.100 (6000 मी०) चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य एवं चैनेज 242.900 से 244.400 (1500 मीटर) नाला निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित 4.65 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति एवं बाधक 474 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बंध में।

सन्दर्भ:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, लखनऊ का पत्रांक संख्या 2034/11-सी-FP/UP/Road/150166/2021, लखनऊ, दिनांक-15-12-2022.

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण मे विचारोपरान्त कार्यालय के पत्र दिनांक 12.04.2022, 02.07.2022 एवं 07.10.2022 के माध्यम से प्रकरण में आवश्यक सूचनाएं वांछित थी उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित अनुपालना पर पुनः विचारोपरान्त मुझे आपको सूचित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे की आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके-

1. As per DSS analysis, out of the proposed CA land of Sahanpur range (total area 5.0 ha.), only 3.0 ha. area is suitable for plantation and 2.0 ha. area is not suitable for plantation due to Moderately dense forest cover. Thus, if this area is really suitable for plantation, then the field inspection report from the concerned DFO needs to be submitted, otherwise alternate degraded forest land of 5 ha. needs to be proposed for CA.
2. CA scheme should be submitted and uploaded on PARIVESH portal for CA on 10 ha of DFL for plantation of minimum 1000 trees/ha.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)